पंजाब केसरी
TUE,25 AUGUST 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 5

9वीं और 11वीं कक्षा से ही होगा विद्यार्थियों का पंजीकरण

■ पंजीकरण शुल्क 200 रुपए तय, बिना विलंब शुल्क 15 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन

धर्मशाला, 24 अगस्त (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा और परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पंजीकरण 10वीं और 12वीं की बजाय 9वीं और 11वीं कक्षा में ही कर लिया जाएगा।

यह महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को होने वाली तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों से बचाने के लिए लिया गया है।

बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने सोमवार को बताया कि परीक्षा विनियम, 1994 के अध्याय-18 के नियम 18.1 में संशोधन किया गया है।

नए प्रावधानों के तहत 9वीं कक्षा में किया गया पंजीकरण छात्र के 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वैध रहेगा। इसी प्रकार 11वीं कक्षा का पंजीकरण 12वीं की परीक्षा पास करने तक मान्य होगा। यदि कोई छात्र किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से माइग्रेट होकर सीधे 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेता है, तो उसे बोर्ड में एक नए अभ्यर्थी के रूप में अपना पंजीकरण करवाना होगा।

बोर्ड द्वारा प्रति विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क 200 रुपए निर्धारित किया गया है। स्कूलों को बिना किसी विलंब शुल्क के 15 अक्तूबर तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि कोई इस अवधि में चूक जाता है, तो वह 500 रुपए के विलंब शुल्क के साथ 15 नवम्बर तक आवेदन कर सकेगा। तय अंतिम तिथि के बाद बिना बोर्ड अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Divya Himachal Dt.25-08-2026

अब नौवीं-ग्यारहवीं में होगी रजिस्ट्रेशन

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, 200 रुपए शुल्क तय, 15 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन

दिव्य हिमाचल ब्यूरो – धर्मशाला

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा और परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पंजीकरण 10वीं और 12वीं के बजाय 9वीं और 11वीं कक्षा में ही कर लिया जाएगा। यह महत्त्वपूर्ण निर्णय भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को होने वाली तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों से बचाने के लिए लिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने सोमवार को बताया कि परीक्षा विनियम, 1994 के अध्याय-18 के नियम 18.1 में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के तहत, 9वीं कक्षा में किया गया पंजीकरण छात्र के 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वैध रहेगा। इसी प्रकार, 11वीं कक्षा का पंजीकरण 12वीं (वरिष्ठ माध्यमिक) की परीक्षा पास करने तक मान्य होगा। यदि कोई छात्र किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से माइग्रेट होकर सीधे 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेता है, तो उसे बोर्ड में एक नए अभ्यर्थी के रूप में अपना पंजीकरण करवाना होगा। बोर्ड द्वारा प्रति विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। स्कूलों को बिना किसी विलंब शुल्क के 15 अक्तूबर तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि कोई इस अवधि में चूक जाता है, तो वह 500 रुपए के विलंब शुल्क के साथ 15 नवंबर तक आवेदन कर सकेगा। तय अंतिम तिथि के बाद बिना बोर्ड अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रधानाचार्यों को निर्देश

डा. राजेश शर्मा ने सभी संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों से आग्रह किया है कि वे संशोधित नियमों के अनुसार तय समय सीमा के भीतर ही विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। बोर्ड द्वारा जल्द ही पंजीकरण का विस्तृत कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

स्टेट टीचर्स अवार्ड को इंटरव्यू जल्द

शिमला। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ही स्टेट टीचर अवार्ड के लिए इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। शिक्षा निदेशालय की कमेटी ने स्पेशल कैटिगरी के 6 अवार्ड के लिए 52 आवेदकों की स्क्रीनिंग कर ली है। अगले चरण में 25 अवार्ड के लिए 98 आवेदकों की स्क्रीनिंग होगी। इनकी प्रेजेंटेशन शिक्षा सचिव राकेश कंवर के सामने होगी और यह प्रक्रिया लगातार दो दिन चल सकती है। शिक्षा निदेशालय इसका शेड्यूल बना रहा है। दूसरी ओर, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रिंसीपल स्कूल कैडर की प्रोमोशन की तैयारी शुरू कर दी है। यह डिटेल स्कूल लेक्चरर कैडर से मांगी गई है। सभी जिलों को 20 दिन का समय दिया गया है।

Amar Ujala Dt. 25-08-26

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चार गुना बढ़ाया पंजीकरण शुल्क

9वीं और 11वीं में पंजीकरण के लिए अब 50 के बजाय 200 रुपये लगेगा शुल्क

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पंजीकरण शुल्क चार गुना बढ़ा दिया है। अब विद्यार्थियों को 9वीं और 11वीं कक्षा में पंजीकरण करवाने के लिए 50 रुपये के बजाय 200 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा।

वहीं, लेट फीस 100 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। बोर्ड ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। संशोधित नियम के तहत नौवीं कक्षा से होने वाला पंजीकरण मैट्रिक परीक्षा पूरी करने या पास करने तक वैध रहेगा। 11वीं का पंजीकरण 12वीं की परीक्षा पूरी करने या पास करने तक मान्य रहेगा। शुल्क 15 अक्तूबर तक जमा करवाना होगा। इसके बाद 500 रुपये लेट फीस देनी होगी। अन्य बोर्डों से माइग्रेट होकर सीधे 10वीं या 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने वालों को भी पंजीकरण करवाना होगा। ब्यूरो

Dt. 25-08-2026

हिमाचल दस्तक

न्यूज 1 नजर में

अब 9वीं व 11वीं से होगा विद्यार्थियों का पंजीकरण

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पंजीकरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब विद्यार्थियों का पंजीकरण 10वीं और 12वीं के बजाय 9वीं और 11वीं कक्षा में ही किया जाएगा। 9वीं का पंजीकरण 10वीं पास करने और 11वीं का पंजीकरण 12वीं पास करने तक मान्य रहेगा। बोर्ड ने पंजीकरण शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया है। बिना विलंब शुल्क के 15 अक्तूबर तक आवेदन किया जा सकेगा, जबकि 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 15 नवंबर तक पंजीकरण का मौका मिलेगा। दूसरे बोर्ड से माइग्रेट होकर सीधे 10वीं या 12वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को नए अभ्यर्थी के रूप में पंजीकरण करवाना होगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने सभी स्कूलों को निर्धारित समय में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

दैनिक सवेरा टाइम्स
अंधेरे से उजाले की ओर...

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला : अब 9वीं और 11वीं से होगा विद्यार्थियों का पंजीकरण

10वीं-12वीं तक मान्य रहेगा रजिस्ट्रेशन, 200 रुपये शुल्क तय

सवेरा न्यूज/रविंदर वासन

धर्मशाला, 24 अगस्त : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा और परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पंजीकरण 10वीं और 12वीं की बजाय 9वीं और 11वीं कक्षा में ही कर लिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को होने वाली तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों से बचाने के लिए लिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने सोमवार को बताया कि परीक्षा विनियम, 1994 के अध्याय-18 के नियम 18.1 में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के तहत, 9वीं कक्षा में किया गया पंजीकरण छात्र के 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वैध रहेगा। इसी प्रकार, 11वीं कक्षा का पंजीकरण 12वीं (वरिष्ठ माध्यमिक) की परीक्षा पास करने तक मान्य होगा। यदि कोई छात्र किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से माइग्रेट होकर सीधे 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेता है, तो उसे बोर्ड में एक नए अभ्यर्थी के रूप में अपना पंजीकरण करवाना होगा।

शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियां : बोर्ड द्वारा प्रति विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। स्कूलों को बिना किसी विलंब शुल्क के 15 अक्टूबर तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि कोई इस अवधि में चूक जाता है, तो वह 500 रुपये के विलंब शुल्क के साथ 15 नवंबर तक आवेदन कर सकेगा। तय अंतिम तिथि के बाद बिना बोर्ड अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रधानाचार्यों को दिए गए सख्त निर्देश : डा. राजेश शर्मा ने सभी संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों से आग्रह किया है कि वे संशोधित नियमों के अनुसार तय समयसीमा के भीतर ही विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो।

अब 9वीं और 11वीं कक्षा से ही होगा विद्यार्थियों का पंजीकरण

स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, पंजीकरण शुल्क 200 रुपए तय

- बिना विलंब शुल्क 15 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन
- 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने तक मान्य रहेगा रजिस्ट्रेशन

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा और परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पंजीकरण 10वीं और 12वीं की बजाय 9वीं और 11वीं कक्षा में ही कर लिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को होने वाली तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों से बचाने के लिए लिया गया है।

नियमों में हुआ अहम संशोधन : डॉ. राजेश शर्मा

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने सोमवार को बताया कि परीक्षा विनियम, 1994 के अध्याय-18 के नियम 18.1 में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के तहत, 9वीं कक्षा में किया गया पंजीकरण छात्र के 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वैध रहेगा। 11वीं कक्षा का पंजीकरण 12वीं (वरिष्ठ माध्यमिक) की परीक्षा पास करने तक मान्य होगा। यदि कोई छात्र किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से माइग्रेट होकर सीधे 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेता है, तो उसे बोर्ड में एक नए अभ्यर्थी के रूप में अपना पंजीकरण करवाना होगा।

शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियां : बोर्ड द्वारा प्रति विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। स्कूलों को बिना किसी विलंब शुल्क के 15 अक्टूबर तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि कोई इस अवधि में चूक जाता है, तो वह 500 रुपये के विलंब शुल्क के साथ 15 नवंबर तक आवेदन कर सकेगा। तय अंतिम तिथि के बाद बिना बोर्ड अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रधानाचार्यों को दिए सख्त निर्देश

डॉ. राजेश शर्मा ने सभी संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों से आग्रह किया है कि वे संशोधित नियमों के अनुसार तय समयसीमा के भीतर ही विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो। बोर्ड द्वारा जल्द ही पंजीकरण का विस्तृत कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे आगामी जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट व अधिकृत माध्यमों से जुड़े रहें।

AAPKA FAISLA Dt. 25-08-2026

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अहम कदम, शीतकालीन स्कूलों में तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के प्रश्न-पत्रों की ऑनलाइन मांग 25 अगस्त से

धर्मशाला, (आपका फैसला)। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने शीतकालीन विद्यालयों में नवंबर-दिसंबर 2026 में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं

6 अक्टूबर के बाद कोई मांग स्वीकार नहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया हुई पूरी तरह बंद

सरकारी स्कूलों को प्रश्न-पत्र नि:शुल्क, लापरवाही पर स्कूल प्रमुख होंगे जिम्मेदार

की तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध बनाने के लिए बोर्ड ने कक्षा 3, 5 और 8 के प्रश्न-पत्रों की मांग को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी संबंधित विद्यालय 25 अगस्त 2026 से विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर ऑनलाइन अपनी मांग दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (www.hpbose.org) के Online Services सेक्शन में जाना होगा। यहां Online Question Paper Demand for 3rd, 5th and 8th Class विकल्प के माध्यम से प्रश्न-पत्रों की मांग दर्ज की जा सकेगी। बोर्ड ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार की ऑफलाइन मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कूलों को मिलेगी छूट, निजी स्कूलों के लिए शुल्क तय, इस नई व्यवस्था के तहत सरकारी विद्यालयों को प्रश्न-पत्र नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं, निजी स्कूलों को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा: कक्षा 3 और 5 के लिए 100 प्रति विद्यार्थी कक्षा 8 के लिए: 150 प्रति विद्यार्थी ऑनलाइन मांग के लिए समय-सारणी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और 6 अक्टूबर 2026 के बाद किसी भी स्कूल की मांग स्वीकार नहीं होगी:बिना विलंब शुल्क के: 25 अगस्त 2026 से 16 सितंबर 2026 तक। 100 (प्रति विद्यार्थी) विलंब शुल्क के साथ: 17 सितंबर 2026 से 26 सितंबर 2026 तक। 150 (प्रति विद्यार्थी) विलंब शुल्क के साथ: 27 सितंबर 2026 से 6 अक्टूबर 2026 तक। लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल निर्धारित अवधि में मांग दर्ज नहीं करता है या वास्तविक संख्या से कम-ज्यादा मांग करता है, तो परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्रों की कमी के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक, संबंधित क्ष्श्रह और उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे। बोर्ड का यह तकनीक आधारित कदम परीक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मील का पत्थर साबित होगा।

DAINIK jagran Dt.25-08-26

नौवीं व 11वीं से होगा छात्रों का पंजीकरण

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पंजीकरण नियमों में बदलाव किया है। अब सभी स्कूलों में छात्रों का पंजीकरण 10वीं और 12वीं के बजाय नौवीं और 11वीं कक्षा में किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि नौवीं कक्षा में किया पंजीकरण 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वैध रहेगा। 11वीं कक्षा का पंजीकरण 12वीं की परीक्षा पास करने तक मान्य होगा। यदि कोई छात्र किसी अन्य बोर्ड से माइग्रेट होकर 10वीं या 12वीं में प्रवेश लेता है, तो उसे नए अभ्यर्थी के रूप में पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया है। (जासं)

डिजिटल अख़बार
पहली नजर
सबसे पहले, सबसे तेज
24 अगस्त, 2026 www.pehalinazar.com pehalinazarhp@gmail.com
पहली नजर
आज की ताजा ख़बर देखते रहिए
डिजिटल न्यूज़ पेपर पहली नजर के साथ

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला

अब 9वीं और 11वीं कक्षा से ही होगा विद्यार्थियों का पंजीकरण

- पंजीकरण शुल्क 200 रुपये तय
- बिना विलंब शुल्क 15 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन
- 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने तक मान्य रहेगा रजिस्ट्रेशन

पहली नजर ब्यूरो, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा और परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पंजीकरण 10वीं और 12वीं की बजाय 9वीं और 11वीं कक्षा में ही कर लिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को होने वाली तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों से बचाने के लिए लिया गया है।

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने सोमवार को बताया कि परीक्षा विनियम, 1994 के अध्याय-18 के नियम 18.1 में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के तहत, 9वीं कक्षा में किया गया पंजीकरण छात्र के 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वैध रहेगा। इसी प्रकार, 11वीं कक्षा का पंजीकरण 12वीं (वरिष्ठ माध्यमिक) की परीक्षा पास करने तक मान्य होगा। यदि कोई छात्र किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से माइग्रेट होकर सीधे 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेता है, तो उसे बोर्ड में एक नए अभ्यर्थी के रूप में अपना पंजीकरण करवाना होगा।

बोर्ड द्वारा प्रति विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। स्कूलों को बिना किसी विलंब शुल्क के 15 अक्टूबर तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि कोई इस अवधि में चूक जाता है, तो वह 500 रुपये के विलंब शुल्क के साथ 15 नवंबर तक आवेदन कर सकेगा। तय अंतिम तिथि के बाद बिना बोर्ड अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रधानाचार्यों को दिए गए सख्त निर्देश

डॉ. राजेश शर्मा ने सभी संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों से आग्रह किया है कि वे संशोधित नियमों के अनुसार तय समयसीमा के भीतर ही विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो।

वेबसाइट पर जारी किया जाएगा पंजीकरण का विस्तृत कार्यक्रम

बोर्ड द्वारा जल्द ही पंजीकरण का विस्तृत कार्यक्रम (सेक्सुल) आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सभी संबद्ध शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे आगामी जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट व अधिकृत माध्यमों से जुड़े रहें।

RV7 NEWS
सच है तो दिखेगा

बड़ी खबर

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला

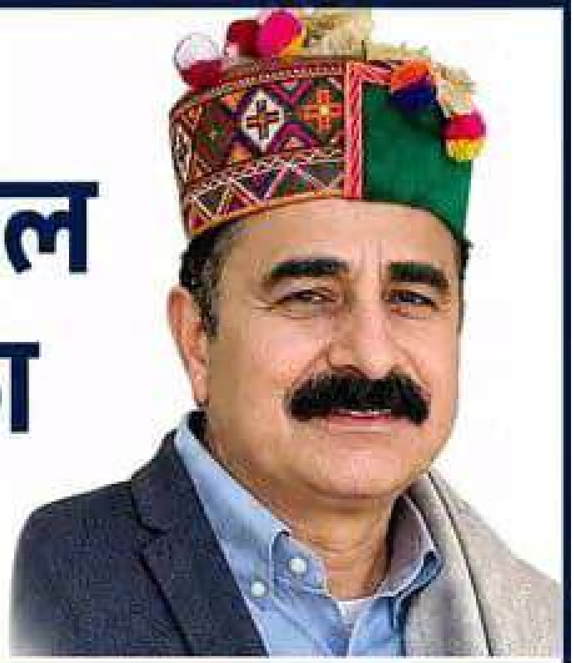

अब 9वीं और 11वीं कक्षा से ही होगा विद्यार्थियों का पंजीकरण

पंजीकरण शुल्क 200 रुपये तय

बिना विलंब शुल्क 15 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने तक मान्य रहेगा रजिस्ट्रेशन

सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा फैसला

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने विद्यार्थियों की सुविधा और परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पंजीकरण 10वीं और 12वीं की बजाय 9वीं और 11वीं कक्षा में ही कर लिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को होने वाली तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों से बचाने के लिए लिया गया है।

शुल्क और महत्वपूर्ण तिथियां

- बोर्ड द्वारा प्रति विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है।
- स्कूलों को बिना किसी विलंब शुल्क के 15 अक्टूबर तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- यदि कोई इस अवधि में चूक जाता है, तो वह 500 रुपये के विलंब शुल्क के साथ 15 नवंबर तक आवेदन कर सकेगा।
- तय अंतिम तिथि के बाद बिना बोर्ड अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नियमों में हुआ अहम संशोधन

- बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने सोमवार को बताया कि परीक्षा विनियम, 1994 के अध्याय-18 के नियम 18.1 में संशोधन किया गया है।
- नए प्रावधानों के तहत, 9वीं कक्षा में किया गया पंजीकरण छात्र के 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वैध रहेगा।
- इसी प्रकार, 11वीं कक्षा का पंजीकरण 12वीं (वरिष्ठ माध्यमिक) की परीक्षा पास करने तक मान्य होगा।
- यदि कोई छात्र किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से माइग्रेट होकर सीधे 10वीं अथवा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेता है, तो उसे बोर्ड में एक नए अभ्यर्थी के रूप में अपना पंजीकरण करवाना होगा।

प्रधानाचार्यों को दिए गए सख्त निर्देश

डॉ. राजेश शर्मा ने सभी संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों से आग्रह किया है कि वे संशोधित नियमों के अनुसार तय समयसीमा के भीतर ही विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो।

बोर्ड द्वारा जल्द ही पंजीकरण का विस्तृत कार्यक्रम (Schedule) आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
विद्यार्थियों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे आगामी जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट व अधिकृत माध्यमों से जुड़े रहें।

HP Board of School Education to Register Students Starting from Classes 9 and 11: Dr. Rajesh Sharma

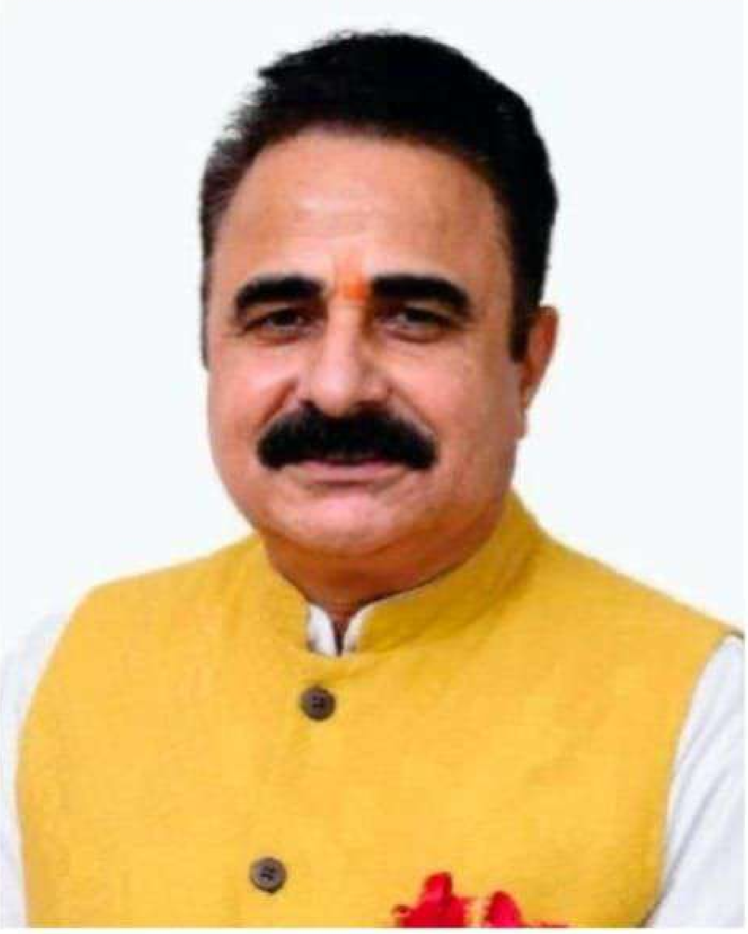

SANJAY AGGARWAL

DHARAMSHALA AUG 24 : The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) has introduced significant changes to its registration rules to facilitate students and strengthen the examination system. Students studying in all government and private schools affiliated with the Board will now be registered in classes 9 and 11, rather than in classes 10 and 12. This crucial decision aims to prevent technical and administrative difficulties that students might otherwise face during future board examinations. Board Chairman Dr. Rajesh Sharma announced on Monday that Rule 18.1 of Chapter 18 of the Examination Regulations, 1994, has been amended. Under the new provisions, registration done in class 9 will remain valid until the student passes the class 10 examination. Similarly, registration in class 11 will be valid until the student passes the class 12 examination. If a student migrates from another board or university and seeks direct admission into class 10 or 12, they will be required to register with the Board as a new candidate. The Board has fixed the registration fee at ₹200 per student. Schools are required to complete the registration process by October 15 without any late fee. Those who miss this deadline may apply by November 15 upon payment of a late fee of ₹500. No applications will be accepted after the stipulated deadline without the prior approval of the Board Chairman. Dr. Rajesh Sharma has urged the principals and heads of all affiliated educational institutions to ensure student registration within the prescribed timeframe and in accordance with the revised rules, so that no student's future is adversely affected. The Board will soon release the detailed registration schedule on its official website.

AUGUST 25, 2026 TUESDAY
HIMACHAL PRADESH

The Sunny Times

HPBOSE OVERHAULS EXAMINATION FRAMEWORK: STUDENT REGISTRATION SHIFTED TO CLASSES 9 AND 11

Sunny Mahajan | Dharamshala

In a major procedural overhaul aimed at eliminating last-minute exam bottlenecks, the Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) will now register students in Classes 9 and 11 instead of waiting until their final board exam years.

Announcing the reform on Monday, Board Chairman Dr. Rajesh Sharma confirmed an amendment to Rule 18.1 under Chapter 18 of the Examination Regulations, 1994. Under the revamped framework, a single registration in Class 9 will carry a student straight through the completion of Class 10 matriculation. Similarly, registering in Class 11 will remain valid until the candidate clears their Class 12 senior secondary finals. Only students migrating from external boards directly into Class 10 or 12 will need to register afresh as direct entrants.

The move is designed to streamline administrative paperwork, eliminate technical glitches, and strip the anxiety out of Class 10 and 12 exam filings across all affiliated government and private schools.

The standard registration fee is set at Rs 200 per student, with the window to submit applications without a penalty closing on October 15. Schools that drag their feet can still file until November 15 by paying a late fee of Rs 500. After that, no applications will clear without express, direct clearance from the board chairman himself.

Dr. Sharma has put school heads on notice, urging principals to strictly meet the cutoffs so no student faces administrative lockouts. Detailed operational schedules will go live on the official HPBOSE portal shortly.